बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक–.............................

संख्या–18/लो०शि०नि०–14–04/2016......................./बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–7695, दिनांक–30.05.2016 के परिशिष्ट–1 के बाद निम्नलिखित नए परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती है:–

(क) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(क) के अनुसार नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, को शामिल करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा;

(ख) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(ख) के अनुसार कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को प्रतिस्थापित करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा;

(ग) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(ग) के अनुसार कुछ लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा;

(घ) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(घ) के अनुसार वैसी नए योजनाएँ/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–18/लो०शि०नि०–14–04/2016....................../पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और उसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–18/लो०शि०नि०–14–04/2016...8737.../पटना, दिनांक– 17-7-17

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/टी०सी०एस० कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/17
सरकार के उप सचिव

desktop/hcl/imran/Adhisuchna

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा (Positive List), की अधिसूचित सूची में परिवर्द्धन

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
1	कृषि विभाग	1 बिहार राज्य विपणन पर्षद (विघटित) के अंतर्गत गोदाम/दुकान/विक्रय स्थल–भूखण्ड का आवंटन से संबंधित परिवाद 2 गोदाम/दुकान का रख–रखाव एवं योजनाओं के निर्माण से संबंधित परिवाद	प्रशासक, बिहार राज्य विपणन पर्षद (विघटित)
2	शिक्षा विभाग	1. विद्यालय के निर्माण से संबंधित परिवाद	जिला शिक्षा पदाधिकारी
3	उर्जा विभाग	1. विद्युत स्पर्शाघात से मानव क्षति से संबंधित शिकायत	विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल
4	स्वास्थ्य विभाग	1. दवा दुकानों की अनुज्ञप्ति से संबंधित परिवाद	राज्य औषधि नियंत्रक
		2. स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से संबंधित मामले	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
5	गृह विभाग	1. पुलिस सत्यापन से संबंधित शिकायतें	थानाध्यक्ष
6	उद्योग विभाग	1. प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना	महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र
		2. हस्तकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनर्निर्माण पैकेज योजना	
		3. महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना	
		4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (हस्तकरघा बुनकरों के मामलें में)	
		5. हस्तकरघा विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत विभिन्न मेला/एक्सपो का आयोजन	
		6. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एन0एच0डी0पी0) के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय कलस्टर का गठन	
		7. बुनकर ऋण माफी योजना	
		8. बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/दि बिहार स्टेट शीप एण्ड उल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, बिहारशरीफ, मधुबनी, सिवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया एवं भागलपुर तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति से संबंधित मामले	

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा (Positive List), की अधिसूचित सूची में परिवर्द्धन

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
7	श्रम संसाधन विभाग	1. स्थापनाओं के निबंधन/सेस से संबंधित परिवाद	संबंधित श्रम अधीक्षक
8	पंचायती राज विभाग	1. 13वीं केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजमायें एवं उनका क्रियान्वयन	1. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से संबंधित मामलों के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 2. जिला परिषद से संबंधित मामलों के लिए उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
		2. पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन /सामुदायिक भवन से संबंधित मामले	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
9	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1. अवैध शराब का विनिर्माण, बिक्री, रखना एवं उपभोग पर रोकथाम से संबंधित मामले	यथा स्थिति संबंधित जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद
		2. NDPS Act के अंतर्गत उत्पाद वस्तु यथा अफीम, चरस, हैरोईन, गांजा एवं अन्य मिलावटी पदार्थ जिससे नशा हो इत्यादि का भी विनिर्माण, बिक्री, रखना एवं उपभोग पर रोक से संबंधित मामले	यथा स्थिति संबंधित जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद
		3. मुद्रांकों की बिक्री से संबंधित मामले	उप निबंधन महानिरीक्षक
		4. मुद्रांक रिफंड से संबंधित मामले	समाहरणालय में रिफंड के प्रभारी उप समाहर्त्ता
		5. निबंधन शुल्क वापसी	समाहरणालय में रिफंड के प्रभारी उप समाहर्त्ता

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा (Positive List), की अधिसूचित सूची में परिवर्द्धन

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
10	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1. खासमहाल लीज नीति के तहत नवीकरण का मामला	समाहर्त्ता
		2. बिहार राज्यपाल के नाम से निःशुल्क भूमि निबंधन हेतु अनुमति के सन्दर्भ में	समाहर्त्ता
		3. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायतें	अंचल अधिकारी
		4. खास महाल भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामले	अपर समाहर्त्ता
		5. जमींदारी बॉण्ड एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा से संबंधित मामले	अपर समाहर्त्ता
		6 अभियान बसेरा योजना से संबंधित परिवाद	अंचल अधिकारी
		7 अभिलेखागार से संबंधित मामले	प्रभारी पदाधिकारी, अभिलेखागार
		8 (क) अंचल कार्यालय से नकल नहीं मिलने के संबंध में परिवाद (अभिलेखागार में जमा किये जाने तक)	अंचल अधिकारी
		(ख) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय से नकल नहीं मिलने के संबंध में परिवाद (अभिलेखागार में जमा किये जाने तक)	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
		(ग) अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से नकल नहीं मिलने के संबंध में परिवाद (अभिलेखागार में जमा किये जाने तक)	अनुमंडल पदाधिकारी
		9. पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र	अंचल अधिकारी
11	ग्रामीण विकास विभाग	1. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से संबंधित परिवाद	प्रखंड विकास पदाधिकारी
		2. प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित परिवाद	प्रखंड विकास पदाधिकारी
12	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित परिवाद	जिला कल्याण पदाधिकारी
13	समाज कल्याण विभाग	1. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में स्वीकृति के पश्चात भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद	प्रखंड विकास पदाधिकारी
		2. वृद्ध माता–पिता को उनके पुत्रों द्वारा मारपीट करना, उचित देखभाल/भरण पोषण नहीं करने से संबंधित मामले	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
		3. आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
		4. मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा (Positive List), की अधिसूचित सूची में परिवर्द्धन

क.सं.	विभाग का नाम	योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
14	परिवहन विभाग	1. **निजी वाहनों के संबंध में दायर परिवाद--** (i) निजी बस जो निर्धारित मार्ग से अलग मार्ग पर परिचालन किया जाता हो (ii) न्यूनतम एवं अधिकतम आवृति के विभिन्न होने पर समय--सारणी पर परिचालन नहीं करना (iii) अंकित बस पड़ावों एवं ठहराव जो मार्ग में पड़ते है पर विभिन्नता होना (iv) दर्शित सुविधा एवं सफाई का नहीं होना (v) बस में विनिश्चत सीमा से अधिक समानों का ढोया जाना (vi) अनुमोदित दर से अधिक किराया वसूल किये जाना (vii) यात्री को किराया का टिकट नहीं देना (viii) परमिट में दर्शाये गये शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाना (ix) वाहन का दुरूस्ती प्रमाण पत्र नहीं होना (x) निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति पर परिचालन करना (xi) निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी को चढ़ाना (xii) संचालक का नाम बस पर अंकित नहीं होना (xiii) बस में अनुज्ञप्तिधारी संवाहक का न होना । (xiv) शिकायत पुस्तिका का संधारण नहीं किया जाना (xv) बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी एजेन्ट से टिकट कटवाना (xvi) शिकायत पुस्तिका संबंधित सूचना नहीं होना । (xvii) संचालक द्वारा शिकायत पर कार्रवाई नहीं किया जाना (xviii) बस में ऐसे समानों का ढोये जाना जिससे आम सवारी के लिए आश्वासकर हो जिसका प्रभाव आम सवारी के स्वास्थ पर खराब पड़ता हो या दुर्गंध फैलाने वाला हो (xix) बस में ऑडियो अथवा विडियो विजवल फिल्म किये जाना जिससे चालक का ध्यान भटकता हो (xx) संवाहक एवं चालक का नाम एवं मोबाईल बस पर प्रदर्शित नहीं किये जाना (xxi) व्यवसायिक सामानों को बस से ढोये जाना (xxii) महिला तथा वृद्ध यात्रियों से दुर्व्यवहार करना	**राज्य परिवहन आयुक्त:** (क) तीन या तीन से अधिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से संबंधित मार्गों पर परमिट निर्गत किये गये बसों से संबंधित दायर परिवाद तथा (ख) अन्तर्राज्यीय मार्गो पर परमिट निर्गत किये गये बसों से संबंधित दायर परिवाद के लिए । **संबंधित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार:** (ग) सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अपने प्रमंडल या उससे सटे संलग्न दो प्रमंडल से संबंधित मार्गों पर परमिट निर्गत किये गये बसो से संबंधित दायर परिवाद के लिए ।
		2. छोटे हल्के व्यवसायिक वाहनों का निजी वाहन में समपरिवर्तन	जिला परिवहन पदाधिकारी
15	नगर विकास एवं आवास विभाग	1. BUIDCO द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित परिवाद	प्रबंध निदेशक, BUIDCO
		2. चलचित्र प्रदर्शन	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा
16	सभी विभाग (Common Positive List)	1. आपूर्तिकर्त्ताओं / सेवा प्रदाताओं के विपत्रों के भुगतान में विलम्ब / अनियमितता के मामले	जिस कार्यालय से मामला संबंधित है वहां के कार्यालय प्रधान
		2. परिवाद दायर किये जा सकने वाले योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं में एक से अधिक जिलों अथवा पूरे राज्य से संबंधित किसी मामले का परिवाद	संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव / निदेशक

परिशिष्ट–1(ख)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा की अधिसूचित सूची से कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, का प्रतिस्थापन

विभाग का नाम	अधिसूचित स्थिति		प्रतिस्थापन के पश्चात स्थिति	
	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
1. उद्योग विभाग	1. उद्योग हेतु बैंक से ऋण नहीं मिलने के संबंध में	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/अग्रणी जिला प्रबंधक/वरीय उप समाहर्त्ता बैंकिंग	1. राज्य सरकार द्वारा संचालित/प्रायोजित योजनाओं हेतु बैंक से ऋण नहीं मिलने के संबंध में	महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र
	2. पी०एम०ई०जी०पी० योजना अंतर्गत ऋण नहीं मिलने के संबंध में		2. पी०एम०ई०जी०पी० योजना से संबंधित मामले	महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र
	3. जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा अस्वीकृत पी०एम०ई०जी०पी० के मामले की जानकारी			
	4. विभिन्न प्रकार के मेला, हाट में स्टॉल नहीं मिलने के संबंध मे	उद्योग निदेशक	3. विभिन्न प्रकार के मेला, हाट में स्टॉल नहीं मिलने के संबंध में	उद्योग निदेशक, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना
	5. विद्युत कंपनी द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अनुमान्य सुविधा/छुट नहीं देने के संबंध में	उद्योग निदेशक/बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के प्रबंध निदेशक	4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अनुमान्य विभिन्न सुविधा के संबंध में	उद्योग निदेशक, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना
	6. वाणिज्य–कर विभाग द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अनुमान्य वैट की प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने के संबंध में	निदेशक, तकनीकी विकास एवं वाणिज्य–कर विभाग/ उद्योग निदेशक		
	7. औद्योगिक निवेश-प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त नहीं होने के संबंध में			
	8. बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित परिवाद	तकनीकी पर्यवेक्षक	5. राज्य सरकार द्वारा संचालित/प्रायोजित बुनकरों से संबंधित सभी मामले	महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र
	9. मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र		
	10. विद्युत अनुदान	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र		
	11. प्लेन पावरलूम के उन्नयन की योजना	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)		

परिशिष्ट—1(ख)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा की अधिसूचित सूची के कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, का प्रतिस्थापन

	अधिसूचित स्थिति		प्रतिस्थापन के पश्चात स्थिति	
विभाग का नाम	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
1. उद्योग विभाग	12. प्रशिक्षण	प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर / परियोजना पदाधिकारी,मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र / सहायक उद्योग निदेशक(रेशम) / परियोजना पदाधिकारी / सहायक उद्योग निदेशक (रेशम)	5. राज्य सरकार द्वारा संचालित / प्रायोजित बुनकरों से संबंधित सभी मामले	महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र
	13. बुनकर ऋण माफी योजना 14. बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना 15. बुनकर से संबंधित मामले	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र		
	16. मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना	अग्र परियोजना पदाधिकारी / सहायक उद्योग निदेशक(रेशम)	6. तसर विकास से संबंधित मामले	महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र
	17. मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना	महाप्रबंधक,जिला उद्योग केन्द्र / सहायक उद्योग निदेशक(रेशम)	7. मलवरी विकास से संबंधित मामले	महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र

परिशिष्ट-1(ख)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा की अधिसूचित सूची के कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, का प्रतिस्थापन

अधिसूचित स्थिति			प्रतिस्थापन के पश्चात स्थिति	
विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
2 श्रम संसाधन विभाग	1 बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 का कार्यान्वयन से संबंधित परिवाद	बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के कार्यकारी निदेशक	1. बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 से संबंधित आवेदन की जांच	संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी
			2. बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 से संबंधित आवेदन की स्वीकृति	संबंधित जिले के श्रम अधीक्षक
			3. बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध राशि की विमुक्ति/नीतिगत आपत्ति	कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
	2. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधन से संबंधित परिवाद	सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	4. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित निबंधन हेतु आवेदन की जांच, निबंधन से संबंधित परिवाद	1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 2. शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम अधीक्षक
			5. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित अनुदान	संबंधित प्रमंडल के उप श्रमायुक्त
			6. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध राशि की विमुक्ति/नीतिगत आपत्ति	सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा की अधिसूचित सूची के कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, का प्रतिस्थापन

अधिसूचित स्थिति			प्रतिस्थापन के पश्चात स्थिति	
विभाग का नाम	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा।
3 परिवहन विभाग	1. परमिट संबंधित आवेदन		**1. परमिट संबंधी आवेदन –** (क) तीन या तीन से अधिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से संबंधित मार्गों पर परमिट निर्गत करने के संबंध में आवेदन (ख) अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट निर्गत करने के संबंध मे आवेदन	राज्य परिवहन आयुक्त
			(ग) सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अपने प्रमंडल या उससे सटे संलग्न दो प्रमंडल से संबंधित मार्गो पर परमिट निर्गत करने के संबंध में	संबंधित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
	2. टैक्स टोकन संबंधित आवेदन (टूरिस्ट वाहन)	राज्य परिवहन आयुक्त	**2. टैक्स टोकन संबंधित आवेदन –** (क) टूरिस्ट वाहन के लिए कर–प्रतीक निर्गत करने से संबंधित आवेदन	राज्य परिवहन आयुक्त
			(ख) अन्य वाहन के लिए कर– प्रतीक निर्गत करने से संबंधित आवेदन	यथा स्थिति संबंधित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी
	3. ई–पेमेन्ट कलेक्शन संबंधित आवेदन		3. ई.पेमेंट के माध्यम से राशि हस्तांतरण करने के संबंध में शिकायत	राज्य परिवहन आयुक्त
	4. प्रदूषण जाँच केंद्र संबंधित आवेदन		4.प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण संबंधित शिकायत	राज्य परिवहन आयुक्त

परिशिष्ट—1(ख)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा की अधिसूचित सूची के कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, का प्रतिस्थापन

	अधिसूचित स्थिति		प्रतिस्थापन के पश्चात स्थिति	
विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
4 नगर विकास एवं आवास विभाग	1. नगर क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली–नाली योजनाओं से संबंधित मामले	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम	1. नगर निगम क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली नाली योजनाओं से संबंधित मामले	नगर मुख्य अभियन्ता
			2. नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली–नाली योजनाओं से संबंधित मामले	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी
	2. जन–सुविधाऐं–अतिक्रमण, चारा–प्रबंधन, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाईट, साफ–सफाई	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम	3. पटना नगर निगम के अंतर्गत जन सुविधाओं :–अतिक्रमण, चारा–प्रबंधन, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाईट, साफ–सफाई	संबंधित अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी
			4. पटना नगर निगम को छोड़कर अन्य नगर निगमों के जन सुविधाओं :–अतिक्रमण, चारा–प्रबंधन, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाईट, साफ–सफाई	संबंधित नगर आयुक्त
			5. नगर परिषद/नगर पंचायत में जन सुविधाओं :–अतिक्रमण, चारा–प्रबंधन, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाईट, साफ–सफाई	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी

परिशिष्ट- 1(ग)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, की सूची में परिवर्तन/संशोधन

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा	पूर्व से अधिसूचित लोक प्राधिकार	परिवर्तन/संशोधन के पश्चात लोक प्राधिकार, जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा
1	कृषि विभाग	1. डीजल अनुदान से संबंधित परिवाद	जिला कृषि पदाधिकारी	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
2	आपदा प्रबंधन विभाग	1. प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मामले(चक्रवात,सूखा, भूकम्प, अग्नि बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला(frost) एवं शीतलहर)	अंचलाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अनुमंडल पदाधिकारी/ आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी अपर समाहर्त्ता	आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी अपर समाहर्त्ता
3	उर्जा विभाग	1. जल विद्युत से संबंधित मामले	प्रबंध निदेशक, सहायक निदेशक, ब्रेडा/ उप निदेशक ब्रेडा /निदेशक, ब्रेडा	मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल विद्युत निगम
		2. सौर उर्जा से संबंधित मामले		उप निदेशक, ब्रेडा
		3. मुख्यमंत्री विद्युत निश्चय योजना	विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल	सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमण्डल
		4. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना		
		5. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना		
		6. विद्युत तार टूटने, झूलने से संबंधित मामले		
		7. विद्युत कनेक्शन से संबंधित मामले		
		8. विद्युत विपत्र से संबंधित मामले		
		9. ट्रांसफार्मर एवं उसके बदलाव से संबंधित मामले		
		10. विद्युत वितरण से संबंधित मामले		
4	पंचायती राज विभाग	1. 14 वें केन्द्रीय वित आयोग से संबंधित योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
		2. मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना से संबंधित योजना एवं उनका कार्यान्वयन		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
		3. चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं एवं क्रियान्वयन		1. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से संबंधित मामलों के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 2. जिला परिषद से संबंधित मामलों के लिए उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
		4. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, नाली-गली से संबंधित परिवाद		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
5	योजना एवं विकास विभाग	1. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना	जिला पदाधिकारी	जिला योजना पदाधिकारी
6	गन्ना उद्योग विभाग	1. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत परिवाद	ईखायुक्त, बिहार	संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार
		2. गन्ना उद्योग विभाग के अधीन बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम--1981 की धारा--7 के अधीन चीनी मिल क्षेत्र में गठित क्षेत्रीय विकास परिषद से संबंधित परिवाद		संबंधित जिलों के ईख पदाधिकारी
		3. किसानों के गन्ना के तौल में चीनी मिल द्वारा घटतौली (under weighment) से संबंधित परिवाद		संबंधित जिलों के ईख पदाधिकारी
		4. ईख मूल्य भुगतान से संबंधित किसानों से प्राप्त परिवाद		संबंधित जिलों के ईख पदाधिकारी
7	नगर विकास एवं आवास विभाग	1. बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित परिवाद	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना

परिशिष्ट–1(घ)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वैसी योजनाएँ, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा (Negative List) की अधिसूचित सूची में परिवर्द्धन

क्र.सं.	विभाग का नाम	वैसी योजनाएँ, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा	परिवाद दायर नहीं किये जाने वाली सूची में शामिल करने का कारण
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1. राशन कार्ड में नाम जोड़ना एवं हटाना	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं में शामिल किये जाने के कारण
2	उद्योग विभाग	1. राज्य सरकार द्वारा संचालित / प्रायोजित योजनाओं से भिन्न कार्य हेतु बैंक से ऋण प्राप्त नहीं होने से संबंधित मामले	बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा–2(ड़) के तहत बैंक के लोक प्राधिकार उद्घोषित नहीं रहने के कारण
3	ग्रामीण विकास विभाग	1. मनरेगा योजना से संबंधित परिवाद	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 की धारा–27 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में इस परियोजना में परिवादों के निवारण हेतु लोकपाल का प्रावधान है, जिनकी नियुक्ति जिला स्तर पर की गयी है
4	समाज कल्याण विभाग	1. आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका के चयन के मामले	विभागीय स्तर पर इसके लिए वैकल्पिक फोरम उपलब्ध होने के कारण

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर)

सरकार के उप सचिव